

विकल्प का प्रारूप
(नियम 5 देखें)

* (i) मैं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ / करती हूँ।
अथवा

* (ii) मैं अपने मूल/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में निम्नानुसार आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता हूँ / करती हूँ जब तक कि :-

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की दिनांक, या

* मेरी बाद की वेतन वृद्धि की दिनांक जिससे मेरे वेतन रूपये हो जाए, या

* मैं मौजूदा वेतन बैंड में वेतन लेना बंद कर दूँ/छोड़ दूँ या

* के पद पर मेरा पदोन्नति/उन्नयन को तारीख तक बने रहने तक।

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए
कार्यालय में विकल्प प्राप्त होने की दिनांक

कार्यरत कार्यालय का नाम

W

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन नियतन पत्रक

1. कार्मिक का नाम : -----
2. पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया जाना है: -----
3. स्थायी / स्थानापन्न : -----
4. नियम 5 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन नियतन का
दिनांक -----
5. विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन -----
6. विद्यमान मूल वेतन (ग्रेड वेतन जोड़कर) -----
7. विद्यमान परिलब्धियां :-
(अ) मूल वेतन (ग्रेड वेतन जोड़कर) -----
(ब) मूल वेतन पर दिनांक 1-1-2016
से लागू मंहगाई भत्ता -----
(अ + ब) -----
8. अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन
के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट
लेवल -----
9. अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.57 से
गुणा करने पर प्राप्त राशि (निकटतम रूपये में
पूर्णांकित) -----
10. प्रयोज्य लेवल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि
के समान अथवा उससे ठीक उच्चतर कोष्टिका
की राशि -----

वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं कंपनी को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में अनियमितता के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई है, कंपनी के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा / करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से जिनमें - पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण की राशि भी सम्मिलित है, काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूँ, तो इस देय राशि की वापसी के लिए मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूँ। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए।

साक्षी

हस्ताक्षर कंपनी कार्मिक

हस्ताक्षर


पदनाम

पता -

स्थान

दिनांक

दिनांक



प्रतिभूति का प्रारूप

श्री/श्रीमती/कुमारी पदनाम
 कार्यालय को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम,
 2017 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन नियतन होने के कारण दिनांक से दिनांक
 तक रू. (शब्दों में) रू. की अवशेष
 राशि (एरियर) का भुगतान किया जा रहा है।

हम श्री/श्रीमती/कुमारी एवं
 श्री/श्रीमती/कुमारी कार्यालय
 की स्थापना के स्थाई कार्मिक हैं तथा क्रमशः वेतन राशि रू. (शब्दों में)
 प्रतिमाह आहरण करते हुए श्री/श्रीमती/कुमारी
 को प्रतिभू होने के लिए यह सहमति प्रदान करते हैं कि यदि
 श्री/श्रीमती/कुमारी को उपरोक्तानुसार एरियर्स का
 भुगतान होने जा रहा है, उसमें यदि कंपनी के नियम के अनुरूप अधिक भुगतान होना पाया जाता है, एवं
 उक्त कार्मिक अधिक भुगतान की गई राशि को लौटाने में असमर्थ है तो हम उसका भुगतान करेंगे और हम
 स्वयं को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशतियों को इस प्रकार के भुगतान हेतु
 आवद्ध करते हैं। हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारे द्वारा देय राशि हम दोनों से संयुक्त रूप से या अलग-
 अलग भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए।

आज दिनांक माह सन् 201... को हस्ताक्षरित किया गया।

- | | | |
|---------------------|----|-------------------------------------|
| साक्षी
हस्ताक्षर | | |
| 1. ----- | 1. | प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम |
| नाम
पदनाम | | |
| साक्षी
हस्ताक्षर | | |
| 2. ----- | 2. | प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम व पदनाम |
| नाम
पदनाम | | |

प्रतिहस्ताक्षरित

नाम -----

(कार्यालय प्रमुख)

(X) जो लागू न हो उसे काट दीजिए

